न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना – नागौर (राज0)
बईजलास – श्री दयानन्द रूयल आर.टी.एस.

मु0 सं0 21/2017 — दायर दिनांक 5.05.2017

प्रार्थी	V/S	अप्रार्थी
पटवारी हल्का सिघांना		श्री भगवानाराम पुत्र श्री मुनाराम जाति जाट निवासी सिघांना

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 6.11.2017

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **पटवारी हल्का सिघाना** ने **दिनाक** 05.05.2017 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी **श्री भगवानाराम पुत्र श्री मुनाराम जाति जाट निवासी सिघाना तह. डीडवाना** ने ग्राम सिघाना के **खसरा नम्बर 52** किस्म **गै.मु.गौचर** रकबा **167.06 बीघा** में सें **0.1 बिघा** भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का सिघाना की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी उपस्थित रहा एवंम अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एंव पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम सिघाना के **खसरा नम्बर 52** किस्म **गै.मु.गौचर** रकबा **167.06 बीघा** में सें **0.1 बिघा** भूमि पर अप्रार्थी **श्री भगवानाराम पुत्र श्री मुनाराम जाति जाट निवासी सिघाना तह. डीडवाना** ने अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। **अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है**। अप्रार्थी को ख0न0 52 किस्म किस्म **गै0मु0गौचर रकबा** 167.06 बीघा में सें 0.1 **बिघा** भूमि पर से बेदखल किया जानें आदेश दिये जाते है। तथा भूमि के वार्षिक **लगान दर** 0.02 रू0 के 50 गुणा से **रूपये** 10/– **अक्षरे दस रूपये मात्र** की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

भू0अ0निरीक्षक **डीडवाना** व पटवारी हल्का **सिघांना** को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं **त0रा0ले0 कार्यालय हाजा** को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सम्बंधित पृविष्ठियां रजिस्टर रा.लेखा सं.रा. 4 के पृष्ठ 17 पर 10/ दस रुपये
दिनांक 14/11/17 को अंकित की गई।
त.रा.ले. डीडवाना

(दयानन्द रूयल)
तहसीलदार, डीडवाना